राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1448/2013.....जिला.....जयपुर.....
उनवान–मैसर्स तिरूपति इण्डस्ट्रीज़, 35, बराह जी का रास्ता, गणगौरी बाजार, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–षष्ठम्, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स–तृतीय), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 18.04.2013, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त–षष्ठम् जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 33 व 55 के तहत् निर्धारण वर्ष **2006–07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 28.03.2013** के जरिये कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री जी.एन.शर्मा द्वारा रिकॉर्ड पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा शेष वसूली योग्य राशि वसूल कर ली गयी है । अतः प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को विदड्रा करने हेतु प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से श्री मोहन लाल चौधरी, सहायक आयुक्त (विधि) चतुर्थ, जयपुर द्वारा रोक आवेदन पत्र को विदड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र विदड्रा करने के कारण, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र ''सारहीन'' हो जाने के कारण खारिज किया जाता है । आदेश सुनाया गया। 31.7.2014 **(मदन लाल)** **सदस्य**	